न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः– ओम कसेरा, I.A.S.

प्रकरण संख्या –11/2018 (अपील)

मोहनलाल मीणा पुत्र श्री चतुर्भुज मीणा, जाति मीणा, निवासी 1111, महावीर नगर प्रथम, कोटा

––अपीलाण्ट.

बनाम

1. नितिन मीणा पुत्र रामलाल मीणा जाति मीणा, निवासी गली नं0 7, चोपडा फार्म, डडवाडा, कोटा जं0 कोटा
2. नायब तहसीलदार, उप तहसील मण्डाना, तहसील लाडपुरा कोटा
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा (राज0)

–––रेस्पोडेन्ट.

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नायब तहसीलदार मण्डाना इंतकाल संख्या 1383 दिनांक 19.06.2015 ग्राम धर्मपुरा तह0 लाडपुरा

उस्थिति

1.श्री उत्पल शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय

दिनांक– 11.12.019

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा दिनांक 19.06.2015 नामा0 सं0 1383 मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक क्रमशः 19.2.2013, 27.2.2013, 27.2.2013 व रिपोर्ट पटवारी एवं आई. एल. आर. अनुसार स्वीकृत किया गया।

2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील दिनांक 15.11.2017 को लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के साथ पेश कर कथन किया है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मण्डाना द्वारा रेस्पो0 सं0 1 के पक्ष में नामा0 सं0 1383 दिनांक 19.6.2015 स्वीकार करने में कानूनी त्रुटि की है । अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त खसरा नम्बर 253 रकबा 0.60 हे0, ख0नं0 254 रकबा 0.04 हे0, ख0नं0 259 रकबा 0.48 हे0, कुल किता 3 रकबा 1.12 हे0, वाके ग्राम धर्मपुरा में माधोलाल, रतनबाई, भवानी बाई पिसरान स्व0 पांचू, रामनाथी बेवा स्व0 पांचू, छीतरलाल पुत्र केसर, अयोध्याबाई पुत्री केसर का हिस्सा 4/7 जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया गया था, जिसके विक्रय पत्र का पंजीयन कार्यालय उप पंजीयक मण्डाना, के कार्यालय में पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 94, क्रम संख्या 982, पृष्ठ संख्या 128 पर दिनांक 28.9.2012 को हो रहा है जिसके बाबत विक्रय पत्र के आधार पर उक्त आराजी का अपीलार्थी के पक्ष में नामान्तकरण खोला जाकर तस्दीक करने हेतु

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

अपीलार्थी द्वारा नायब तहसीलदार, मण्डाना को प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के आवेदन पर कार्यवाही नहीं कर रेस्पोडेन्ट कम 1 के पक्ष में नामान्तकरण स्वीकार करने में कानूनी त्रुटि की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी को विक्रेतागण माधोलाल, रतनबाई, भवानी बाई पिसरान स्व0 पांचू, रामनाथी बेवा स्व0 पांचू, छीतरलाल पुत्र केसर, द्वारा पृथक पृथक विक्रय पत्रों कमशः दिनांक 19.2.2013, 27.2.2013, 27.2.2013 से रेस्पोडेन्ट कम 1 को बैचान के आधार पर जैर अपील नामान्तकरण तस्दीक किया गया है, जबकि उक्त वादग्रस्त आराजी का बैचान इससे पूर्व ही उन्हीं विक्रेतागण द्वारा अपीलार्थी को किया जा चुका था एवं कानूनन पश्चातवर्ती तथाकथित विक्रय की तिथि को उक्त आराजी में विक्रेतागण का कोई हित, अधिकार एवं खातेदारी अधिकार नहीं था, इसलिए विक्रेतागण द्वारा रेस्पोडेन्ट कम 1 के पक्ष में पश्चातवर्ती निष्पादित विक्रय पत्र अवैध, अनाधिकृत एवं प्रभावशून्य था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर नामान्तकरण स्वीकार करने में कानूनी त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकरण संख्या 1383 दिनांक 19.6.2015 जैर अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाया जावें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री चन्द्रशेखर कक्कड़ एडवोकेट का वकालतनामा पेश हुआ । वकील रेस्पोडेन्ट को बहस हेतु मौके दिये गये किन्तु रेस्पोडेन्ट एवं वकील रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के बहस हेतु उपस्थित नहीं होने से वकील रेस्पोडेन्ट की अनुपस्थिति दर्ज की जाकर वकील अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त खसरा नम्बर 253 रकबा 0.60 हे0, ख0नं0 254 रकबा 0.04 हे0, ख0नं0 259 रकबा 0.48 हे0, कुल किता 3 रकबा 1.12 हे0, वाके ग्राम धर्मपुरा में माधोलाल, रतनबाई, भवानी बाई पिसरान स्व0 पांचू, रामनाथी बेवा स्व0 पांचू, छीतरलाल पुत्र केसर, अयोध्याबाई पुत्री केसर का हिस्सा 4/7 जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया गया था, जिसके विक्रय पत्र का पंजीयन कार्यालय उप पंजीयक मण्डाना, के कार्यालय में पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 94, कम संख्या 982, पृष्ठ संख्या 128 पर दिनांक 28.9.2012 को हो रहा है, जिसके बाबत विक्रय पत्र के आधार पर उक्त आराजी का अपीलार्थी के पक्ष में नामान्तकरण नहीं खोला गया अपितु माधोलाल पुत्र पांचू के द्वारा विवादास्पद भूमि में से अपना 1/15वां हिस्सा दिनांक 19.2.2013 को, माधोलाल द्वारा ही मुख्तारनामा से रामनाथी बेवा पांचू, रतनबाई, भवानी पुत्रियां पांचू का 3/15वां हिस्सा दिनांक 28.2.2013 कोएवं छीतर पुत्र केसर बाई द्वारा हिस्सा 1/6 दिनांक 28.2.2013 को नितिन मीणा को बेचान कर दिया जिसका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी को विक्रेतागण माधोलाल, रतनबाई, भवानी बाई पिसरान स्व0 पांचू, रामनाथी बेवा स्व0 पांचू, छीतरलाल पुत्र केसर, द्वारा पृथक पृथक विक्रय पत्रों से रेस्पोडेन्ट कम 1 को बैचान के आधार पर जैर अपील नामान्तकरण तस्दीक किया गया

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

है, जबकि उक्त वादग्रस्त आराजी का बैचान इससे पूर्व ही उन्हीं विकेतागण द्वारा अपीलार्थी को किया जा चुका था एवं कानूनन पश्चातवर्ती तथाकथित विकय की तिथि को उक्त आराजी में विकेतागण का कोई हित, अधिकार एवं खातेदारी अधिकार नहीं था, इसलिए विकेतागण द्वारा रेस्पोडेन्ट कम 1 के पक्ष में पश्चातवर्ती निष्पादित विकय पत्र अवैध, अनाधिकृत एवं प्रभावशून्य था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर नामान्तकरण स्वीकार करने में कानूनी त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकरण संख्या 1383 दिनांक 19.6.2015 जैर अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाया जावें ।वकील अपीलांट द्वारा अपील के पक्ष में न्यायिक दृष्टान्त आर.एल.डब्ल्यू 2006(1)आरजे, मगनीराम बनाम कंकूबाई व अन्य, निगरानी/एलआर/58/2003/चित्तौड़गढ, निर्णय दिनांक 24 अगस्त, 2005 प्रस्तुत की गई ।

5. हमने वकील अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी, बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 15.11.2017 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथनामा0 सं0 1383 दिनांक 19.6.2015 के विरूद्व पेश की है । जो दौ वर्ष बाद पेश की है जो मियाद बाहर है किन्तु विलम्ब से पेश करने का कारण अंकित किया है कि अपीलांट को आदेश की जानकारी होने पर नायब तहसीलदार मण्डाना से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा जिला कलेक्टर कोटा के समक्ष रेफरेंस प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया गया तथा नायब तहसीलदार मण्डाना द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स पर श्रीमान जिला कलेक्टर कोटा द्वारा अपीलार्थी को अपील का अधिकार प्राप्त होने के आधार पर रेफरेन्स लौटा दिया गया है, जिसके बाबत नायब तहसीलदार मण्डाना द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 6.11.2017 को जानकारी दी गई, अतः वकील अपीलांट द्वारा लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ध्यान में रखते अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब क्षम्य योग्य होने से न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ।

6. ग्राम धर्मपुरा के वादग्रस्त खसरा नम्बर 253 रकबा 0.60 हे0, ख0नं0 254 रकबा 0.04 हे0, ख0नं0 259 रकबा 0.48 हे0, कुल किता 3 रकबा 1.12 हे0, वाके ग्राम धर्मपुरा में माधोलाल, रतनबाई, भवानी बाई पिसरान स्व0 पांचू, रामनाथी बेवा स्व0 पांचू, छीतरलाल पुत्र केसर, अयोध्याबाई पुत्री केसर का हिस्सा 4/7 जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र अपीलांट द्वारा खरीद किया गया था, जिसके विकय पत्र का पंजीयन कार्यालय उप पंजीयक मण्डाना, के कार्यालय में पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 94, कम संख्या 982, पृष्ठ संख्या 128 पर दिनांक 28.9.2012 को हो रहा है जिसके बाबत विकय पत्र के आधार पर उक्त आराजी का अपीलार्थी के पक्ष में नामान्तकरण नहीं खोला जाकर उपरोक्त खातेदारों द्वारा पुनः इसी आराजी को पृथक पृथक विकय पत्रों दिनांक 19.2.2013, 27.2.2013, 27.2.2013 से नितिन मीणा को बेचान कर दिया गया जिसका नामान्तकरण नायब तहसीलदार मण्डाना द्वारा तस्दीक कर

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

दिया गया, जबकि उपरोक्त खातेदारान द्वारा उक्त भूमि का प्रथम बेचान 28.9.2012 को हो जाने के पश्चात इस भूमि पर उनका कोई अधिकार निहित नहीं रहता है, ऐसी स्थिति में बाद के विक्रय पत्रों दिनांक 19.2.2013, 27.2.2013, 27.2.2013 से नितिन मीणा के पक्ष में खोला गया नामान्तकरण संख्या 1383 दिनांक 19.6.2015 न्यायविरूद्व एवं त्रुटिपूर्ण है जो निरस्त योग्य है ।

7. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का नामान्तकरण संख्या 1383 दिनांक 19.06.2015 ग्राम धर्मपुरा निरस्त किया जाकर प्रकरण नायब तहसीलदार मण्डाना तहसील लाडपुरा को प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेश दिये जाते है कि उपरोक्त बैचान में सभी पक्षकारान को सुना जाकर विधि के परिपेक्ष्य में नवीन आदेश पारित करें ।

8. निर्णय आज दिनांक 11.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम कसेरा)
जिला कलक्टर कोटा

Scanned by CamScanner